विश्राम कक्ष अपर जिला जज न्यायालय स0–1
जनपद न्यायालय आगरा।
गोष्ठी दिनांकित –13.06.2017

माननीय जनपद न्यायाधीश,
आगरा।

आज दिनांक 13.06.2017 को न्यायिक अधिष्ठान, आगरा में उपयोगी सामान की खरीदारी एंव अनुपयोगी सामान को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने एंव नीलामी की प्रकिया को सम्पादित किये जाने हेतु समिति की आवश्यक सभा मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी, जिसमें सदस्य श्री विवेक संगल, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, श्री अहमद उल्ला खॉ अपर जिला जज न्यायालय संख्या–12 द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति सदस्य श्री कुशलपाल अपर जिला जज न्यायालय संख्या–16 ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है। समिति द्वारा सहायक नाजिर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 06.06.2017 जिसे प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय आगरा द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को अग्रसारित किया गया था, पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2017 पर विचार विमर्श किया गया।

समिति द्वारा सहायक नाजिर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया। आख्यानुसार विगत कई वर्षो से जनपद न्यायालय आगरा में आवासीय एंव अनावासीय भवनों में रिनोवेशन का कार्य किया गया है। जिसमें जनपद न्यायालय परिसर स्थित जिला जज ब्लॉक भवन, जे0एस0सी0सी0 ब्लॉक भवन, सिविल जज ब्लॉक भवन, एंव 24 कक्षीय न्यायालय भवन के छः न्यायालय एंव आवासीय परिसर स्थित आवास संख्या– जे/05 से जे/08, जे/18 से 20 का कार्य पूर्ण हो चुका है। उपरोक्त स्थलों के रेनोवेशन के उपरान्त निष्प्रयोज्य निकली पुरानी जीर्ण शीर्ण चोखटें, दरवाजे, पल्ले, जंगले, व अन्य निष्प्रयोज्य सामान परिसर में जगह–जगह रखा हुआ है जो लोहे व लकड़ी का है। जिसकी सूची निम्नवत है।

<u>लोहे का सामानः–</u>

01–परिसर के मैंन गेट जो पूर्व में निकले थे।	02 नग
02–चोखट लोहे की।	33 नग
03–जगंले लोहे के छोटे एंव बड़े।	84 नग
04–वाटर ड्रेनेज पाईप	41 नग

05–अन्य निष्प्रयोज्य लोहे की पत्तियॉ, रैलिंग, सेनेटरी फिटिंग पाईप, मच्छर जाली फ्रेम सहित, लेन्टर की सरिया आदि।

<u>लकड़ी का सामानः–</u>

01–दरवाजे व खिड़की के पल्ले	242 नग
02–न्यायालय की डाईज व चोखट के वर्गे।	173 नग
03–लकड़ी की सोट	44 नग

अतः उक्त सामान को विकय किये जाने के लिये टैण्डर आमंत्रण हेतु दिनांक 10.07.2017 नियत की जाती है। टैण्डर नियत दिनांक को प्रातः 11 बजे तक नजारत कार्यालय में प्राप्त कराये जा सकते है। टैण्डर जमा कराते समय जमानत धनराशि मु0 20,000/– डी0डी0 से जमा करायी जा सकती है। प्राप्त सील वन्द टैण्डर उसी दिनांक को समय 02.00 बजे समिति के समक्ष खोले जावेगे। निविदाओं को खोले जाते समय निविदा दाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आज की बैठक में उपरोक्त को विक्रय हेतु नियम एंव शर्ते बनायी गयी।

अतः उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान को विक्रय किये जाने हेतु टैण्डर आमंत्रित किये जाने की सूचना तीन स्थानीय समाचार पत्रों अमर उजाला, दैनिक जागरण एंव दाता सन्देश में प्रकाशित कराये जाने एंव उक्त सूचना जनपद आगरा के प्रमुख राजकीय कार्यालयों के सूचनापट पर भी चस्पा करायी जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है तथा मुख्य कम्प्यूटर लिपिक/सिस्टम आफीसर को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त निविदा की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आफिसियल बेबसाइट www.allahabadhighcourt.in एंव जनपद न्यायालय आगरा की आफिसियल बेबसाइट www.ecourts.gov.in/agra पर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

उर्पयुक्त आख्या एंव नियम शर्ते माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

(कुशल पाल) सदस्य अपर जिला जज न्यायालय संख्या–16 आगरा।	13-6-2017 (अहमद उल्ला खाँ) सदस्य अपर जिला जज न्यायालय सख्यां–12 आगरा।	13.6.17 (विवेक संगल) सदस्य वि0न्याया0 एससी/एसटी एक्ट आगरा।	13/06/17 (ए0के0त्रिपाठी) अध्यक्ष अपर जिला जज न्यायालय सख्यां–01 आगरा।

Approved
14/6/17